# न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

पीठासीन अधिकारीः—अमिता विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 08/2025

**प्रार्थीयाः—** निरमा विश्नोई पत्नी प्रवीण कुमार, जाति विश्नोई, निवासी मंगलविहार, आरटीओ ऑफीस पावटा सी रोड़, जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थीः—**

श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

**उपस्थित —**

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह भाटी

अप्रार्थी की ओर से — सरकारी पैरोकार।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम**

**—::निर्णय::—**

**दिनांकः—** 13/8/25

प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 12/13 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म गै.मु.औद्योगिक मौजा ग्राम सन्तोकनगर, पटवार हल्का ईशरू, तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है। उक्त गै.मु. औद्योगिक भूमि की नक्शे में तरमीम करते वक्त मौके के विपरीत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की जानकारी लम्बे समय तक नहीं हुई हाल ही में प्रार्थी को इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर उपरोक्त गलत तरमीम को शुद्ध करने हेतु कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि तरमीम दुरस्ती का दावा प्रस्तुत कर तरमीम दुरस्त करने का आदेश न्यायालय से करवाना होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 12/13 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म गै.मु. औद्योगिक मौजा ग्राम सन्तोकनगर पटवार हल्का ईशरू, तहसील बापिणी, जिला फलोदी बाबत् राजस्व नक्शे में की गई गलत तरमीम को निरस्त की जाकर मौके अनुसार नई तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार अमल दरामद करवाया जावें।

... र. बापिणी

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस प्रेषित किया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोकनगर के ख.नं. 12/13 की तरमीम नामान्तरण संख्या 336 की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शे व मौके अनुसार शुद्ध करने की अनुशंषा की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध जवाब अप्रार्थी व अन्य दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 12/13 की तरमीम नामान्तरण संख्या 336 की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शे व मौके से भिन्न है जो दुरस्त की जानी न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**—::आदेश::—**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील बापिणी पटवार मण्डल ईशरू राजस्व ग्राम सन्तोक नगर में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 12/13 रकबा 0.5342 हैक्टेयर बाबत् वर्तमान नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

आज दिनांक 13/8/25 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी